न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या सं. 162/17 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 04.12.2018

जैसा पिता रामा डामोर निवासी भचडीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर
वादी

बनाम

1. रामा पिता सकना डामोर निवासी भचडीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीनलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 रा.का.अधि.

अधिवक्ता वादी :– श्री श्रवण रावल
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 :– श्री प्रतिवादी सं. 1 :– पेरोकार निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में पिता पुत्र है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 की वादी के अलावा दो अन्य संताने है। जिनका नाम भेमा व जेमा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति की भूमि गॉव भचडीया में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 53,62/2,67,69,70,72,73,76, 2324/57 होकर कुल रकबा 10 बिघा 0.12 बिस्वा है तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 75 होकर रकबा 0.06 बिस्वा है। अन्य भूमि ख0नं0 58, 59, 60, 61, 63, 64 65, 66, 68 होकर रकबा 11.11 बिघा होकर वादी का मकान वादग्रस्त भूमि पर बना हुआ है तथा वादी ग्रस्त भूमि पर काश्त कर रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा बनता है, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु मॉग की तो उनके द्वारा इन्कार कर दिया गया ऐसी परिस्थिति में पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा पृथक किया जाकर वादी को उसके हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद का स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया तथा वादी को उसका हिस्सा देना स्वीकार किया तथा भूमि का पैतृक होना कथन किया गया तथा वादी का मकान होंना कथन किया गया तथा वादी का मकान होना कथन किया गया।

प्रकरण में सहमति का जवाब प्रस्तूत होने से तनकीयात कायम की जाने की आवश्यकता नही होने से तनकीयात निर्मित नही की गई।

वादी द्वारा अपनी और से वाद को प्रमाणीत करने दस्तावेज जमाबन्दी को प्रस्तुत किया।
बहस सूनी गई।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त प्रकरण यह बात कॉच की तरह साफ है कि वादी एवं प्रतिवादी आपस में पुत्र व पिता है तथा भूमि का पैतृक होना भी स्वीकार किया गया है ऐसी परिस्थिति में मेरी विनम्र राय में यह निष्कर्ष निकलता है कि वादग्रस्त भूमि के चार व्यक्ति मालिक है एक वादी स्वयं तथा वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादी के दों अन्य भाई इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा साबित और सिध्द होता है। तथा वादी का वादग्रस्त भूमि पर मकान होकर उसके द्वारा काश्त की जा रही है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मुक्त हस्त से स्वीकार किया गया है। ऐसी परिस्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होकर गॉव भचडिया में स्थित भूमि खसरा नम्बर 53,62/2,67,69,70,72,73,76, 2324/57 होकर कुल रकबा 10.12 बिघा है। तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 75 होकर रकबा 6 बिस्वा है एवं अन्य भूमि खसरा नं0 58, 59, 60, 61, 63, 64 65, 66, 68 होकर 11.11 बिस्वा है। उक्त सभी खसरा नंम्बर का वादी को 1/4 हिस्से पर नाम अंकित किया जावे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावें।

4.12.2018

मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला

आदेश आज दिनांक 04.10.2018 को खुले न्यायालय में सूनाया गया।

4.12.2018

मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रेसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला
इजलास उपखण्ड अधिकारी मणीलाल तीरगर सीमलवाडा

जैसा पिता रामा डामोर निवासी भचडीया **बनाम** रामा पिता सकना डामोर निवासी भचडीया
वाद बाबत :– स्थायी निषेधाज्ञा 53, 88, 209 रा.का.अधि.
मुकदमा नम्बर :– 162/17
यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– मणीलाल तीरगर
व हाजरी :– श्री श्रवण रावल मिनजानिब मुदई व कालूराम डामोर
मिजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–

निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होकर गॉव भचडिया में स्थित भूमि खसरा नम्बर 53,62/2,67,69,70,72,73,76, 2324/57 होकर कुल रकबा 10 बिघा 0.12 बिस्वा है। तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 75 होकर रकबा 6 बिस्वा है अन्य भूमि खसरा नं0 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68 होकर 11.11 बिस्वा है। का वादी को 1/4 हिस्से पर नाम अंकित किया जावे।
मेरे दस्तखत मुहर अदालत में आज दिनांक 04.10.2018 को जारी की गई।

5.12.18
(मणीलाल तीरगर**RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला

वाद केखर्चे

वादी			प्रतिवादी		
	रूपया	पैसा		रूपया	पैसा
वाद के लिये स्टाम्प स्टाम वकालतनामा प्रदर्शो के लिए स्टाम्प महनताना वकील खर्चा गवाहान कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील			1 स्टाम्प वकालात नामा 2 स्टाम्प अरजी के लिए 3 महनताना वकील 4 खर्चा गवाहान 5 आदेशिका की तामील 6 कमिश्नर की फीस		
योग	Nil	Nil	योग	Nil	Nil

(मणीलाल तीरगर**RAS**) 5.12.18
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner